प्रेसनोट थाना हरीपर्वत जनपद आगरा

हत्या में वांछित रू0 25,000/- के इनामी साइको किलर को थाना हरीपर्वत पुलिस टीम एवं क्राइम ब्रान्च टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व अन्य सामान बरामद....

घटना का विवरण:-

दिनांक 13.06.2021 को वादी सचिन कुमार पुत्र स्व0 दिनेश कुमार निवासी बाग मुजफ्फर खां मस्जिद वाली गली थाना हरीपर्वत आगरा द्वारा थाना हरीपर्वत पर तहरीर दी गयी दिनांक 11.06.2021 को मैंने अपने चाचा बन्टी उर्फ नरेश पुत्र स्व0 रामगोपाल निवासी बाग मुजफ्फर खां थाना हरीपर्वत आगरा को गली के बाहर देखा था, किन्तु दिनांक 12.06.2021 से चाचा का कुछ पता नहीं चल रहा था। काफी तलाश करने के उपरान्त पडोसी ने सूचना दी कि तुम्हारे चाचा बन्टी उपरोक्त विवेक बंसल के मकान बाग मुजफ्फर खां में मृत अवस्था में छत पर पडे हैं। पडोसी द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.06.2021 को मोहन प्रजापति पुत्र मुन्नेलाल प्रजापति निवासी गल्ला मण्डी के सामने श्रीराम कालोनी डबरा ग्वालियर म0प्र0 को छत पर देखा गया था। शक होने पर हम लोगों ने मोहन के कमरे में देखा तो फर्श एवं चादर पर खून पड़ा हुआ था। इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पर मु0अ0सं0 222/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण व संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी हरीपर्वत के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी हरीपर्वत जनपद आगरा को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.06.2021 को थाना क्षेत्र में गश्त व चैकिंग की जा रही थी। पुलिस टीम गश्त करते हुए कॉसमास मॉल पहुंची, इस दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि थाना हरीपर्वत में पंजीकृत मु0अ0सं0 222/2021 धारा 302 भा0द0वि0 से संबंधित वांछित रू0 25,000/- इनामी अभियुक्त मोहन प्रजापति, विजय नगर से पालीवाल पार्क की ओर एक्टिवा से आ रहा है तथा किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किया जा सकता है।

पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बताये स्थान पर पहुंच बैरियर लगा कर योजना के अनुसार दो टीम बनाते हुए चैकिंग प्रारम्भ की गयी। कुछ समय बाद एक्टिवा पर एक व्यक्ति विजय नगर की ओर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा करने पर एक्टिवा सवार सकपका गया और एक्टिवा को पीछे मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। हड़बड़ाहट में एक्टिवा फिसल कर गिर गयी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को चारों ओर घेरते हुए गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, इस दौरान भागते हुये अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। पुलिस टीम ने अपने आप का बचाव करते हुए फायर किया, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लग गयी और घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा चारों से घेरते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा नाजायज मय 01 जिन्दा कारतूस मय 01 खोखा कारतूस, रु0 7000/- व 01 एक्टिवा बिना नम्बर प्लेट चोरी की बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पर मु0अ0सं0 245/21 धारा 307 भादवि, मु0अ0सं0 246/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 247/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि पंजीकृत किया गया। घायल अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा द्वारा अभियुक्त मोहन प्रजापति उपरोक्त पर पूर्व में रू0 25,000/- का इनाम घोषित किया गया था ।

पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभि0 द्वारा अपना नाम मोहन प्रजापति बताया गया। घटना के बारे में पूछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैंने अपने मित्र मोहन प्रजापति को 7000/- रुपये उधार दे रखे थे तथा बार-बार माँगने पर भी वह मेरे पैसे नहीं दे रहा था व काम छोड़कर जाने की बात करता था। इस बात को लेकर हम दोनों में आपस में झगड़ा हो गया और मैंने पत्थर से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी।

विशेष:- पुलिस टीम द्वारा जानकारी करने पर ज्ञात हुआ अभि0 मोहन प्रजापति एक साइको किलर है व उसकी गतिविधियाँ भी संदिग्ध रहती हैं। अभियुक्त पूरे शहर में लगभग 30-40 कि0मी0 पैदल घूमता रहता है व एक जगह नहीं रहता है। जिसके कारण पुलिस टीम को अभियुक्त को गिरफ्तार करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. मोहन प्रजापति पुत्र मुन्नीलाल प्रजापति निवासी गाँव माधोपुरा थाना सिटी कोतवाली जनपद मुरैना म0प्र0।

बरामदगी का विवरण:-

01. 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस मय 01 खोखा कारतूस।
02. रु0 7000/-।
03. 01 एक्टिवा बिना नम्बर प्लेट (चोरी की)

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

01.मु0अ0सं0 222/21 धारा 302 भादवि थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 245/21 धारा 307 भादवि थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
03. मु0अ0सं0 246/21धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
04. मु0अ0सं0 247/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
02. निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह सर्विलांस जनपद आगरा।
03. प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कौशल थाना सदर जनपद आगरा।
04. उ0नि0 कुलदीप दीक्षित प्रभारी एसओजी मय टीम जनपद आगरा।
05. उ0नि0 अजय कुमार प्रभारी स्वाट मय टीम जनपद आगरा।
06. उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
07. उ0नि0 राजकुमार बालियान थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
08. उ0नि0 दीपक कुमार थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
09. है0कां0 आदेश त्रिपाठी, है0कां0 प्रशान्त कुमार. कां0 अजीत कुमार सर्विलांस टीम जनपद आगरा।
10. कां0 लोकेश कुमार एसओजी टीम जनपद आगरा।
11. है0का0 अरविन्द कुमार, का0 कमल सिंह, का0 हरिओम, का0 प्रणवीर, का0 विकास मिश्रा, कां0 गौतम कुमार थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।